तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22/7/19-	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उप० अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं आए, पत्रावली में अधिवक्ता वादीगण की बहस वाद-पत्र अ० धारा 188 RTA पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दि० 7/8/19 को पेश हो।
7/8/19-	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित, पत्रावली में निर्णय नहीं लिखाया जा सका है, पत्रावली निर्णय हेतु दि० 21/8/19 को पेश हो।
21/8/19	पत्रावली आज पेश हुई। वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 RT Act पर पुनः मजिज बहस सुनी गई। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादी खातेदारी भूमि पर दखलदाजी ना स्वयं करे ना ही अन्य से करावे। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

21/8/19
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 57/2016

1. रतनलाल छीतरमल रेगर निवासी रामपुरिया तहसील बेगूँ .....वादी

बनाम

1. पेमानाथ पिता देवानाथ जाति कालबेलिया निवासी गलियाबावडी
2. मांगीनाथ पिता पेमानाथ जाति कालबेलिया निवासी गलियाबावडी
3. चन्दानाथ पिता मोतीनाथ जाति कालबेलिया निवासी गलियाबावडी
4. सुन्दरीबाई पति पेमानथ जाति कालबेलिया निवासी गलियाबावडी
5. सुगनाबाई पति चन्दा ताथ जाति कालबेलिया निवासी गलियाबावडी
6. गीताबाई पति भागुनाथ जाति कालबेलिया निवासी गलियाबावडी
7. डालु नाथ पिता नाथुनाथ जाति कालबेलिया निवासी गलियाबावडी
8. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील कार्यालय बेगूँ
9. श्रीमान राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि जिला कलेक्टर महोदय जी चित्तौडगढ राज0

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित : के.सी.धाकड़
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक : 21.08.2019

निर्णय वाद अन्तर्गत धारा 188, 92 'ए' राज.काश्त.अधि.

वादपत्र वादी की ओर से अधिवक्ता श्री के.सी. धाकड द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है : कि ग्राम गलियाबावडी पटवार हल्का रामपुरिया तहसील बेगूँ में मूल खसरा संख्या 103 संशोधित तरमीम नम्बर 428/103 रकबा 0.3200 हे0 भूमि स्थित है यह भूमि वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी में स्थित है। जिस पर वादी लगातार शांतिपुर्वक काश्त कर रहा है। वादी की खातेदरी की उक्त भूमि के पाडौस निम्न प्रकार है–

पुर्व– आम रास्ता, बेगूँ से रतनगढ
पश्चिम– सोहनीबाई पति शंभुलाल के खातेदारी की भूमि एवं जंगलात की भूमि
उत्तर– बाबरू पिता घीसा की कब्जे की भूमि, खाता मांगीलाल धाकड के नाम पर है।
दक्षिण– काशीराम, केसरीमल पिता भंवरलाल की कब्जे की भूमि, खाता बोतलाल धाकड के नाम पर है।

यह कि उक्त पाडोस मध्य की खसरा संख्या 428/103 की भूमि पर प्रतिवादीगण जबरन कानून विरूद्ध तरीके से वादी के उपयोग उपभोग में बाधा पहुचाना चाहते है जिसका प्रतिवादीण को कोई कानूनी हक व अधिकार नही है। दिनांक 07.03.2016 को सभी प्रतिवादीगण हम सलाह होकर वादी की आराजी पर आये और वादी की भूमि के बुवाई के साझीदार (पातीदार) बालकिसन धाकड व उसकी पत्नी आशादेवी व उसकी माता मगदीबाई के साथ गाली गलौच की व धमकी दी की हम ताकत में ज्यादा है भूमि पर हम जबरन कब्जा करेगें, इसकी इत्तिला मेंने पुलिस थाना बेगूँ में पेश की मौके पर पुलिस अधिकारियों के सामने ही प्रतिवादीगण आम शांति भंग करने के लिए उतारू हुए इस पर थाना बेगूँ ने प्रतिवादीगण को धारा 151 द0प्र0सं0 के तहत गिरफ्तार किया , प्रतिवादीगण ने धारा 151 के नोटिस को माननीय उपखण्ड अधिकारी जी के सामने स्वीकार किया तथा इन्हे छः माह के लिए 10,000–10,000 रू. के निजी जमानत मुचलको पर जमानत पर रिहा किया गया है।

यह कि मैने वाद वर्णित उक्त आराजी संख्या 428/103 की भूमि तुलसीराम पिता भंवरलाल से दिनांक 11.08.2015 को क्रय कर उससे कब्जा प्राप्त किया। विक्रेता तुलसीराम पिता भंवरलाल को भी प्रतिवादी पेमानाथ व इसके परिवार के सभी प्रतिवादी सदस्यों ने भूमि के क्रय के पश्चात परेशान किया तो दिनांक 30.08.2012 को तुलसीराम खटीक ने पेमानाथ को 70,000 रू. अलग से पत्थरकोट आदि कराने के एवजमें रूपये देकर स्टाम्प किमत 100

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Scanned by CamScanner

रू पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित करा कर दिया है । स्टाम्प की कॉपी वादपत्र के साथ संलग्न है।

यह कि तुलसीराम पिता भंवरलाल ने वाद वर्णित भूमि मुझ वादी को विक्रय कर कब्जा संभला दिया है जिस पर वादी काबिज है। प्रतिवादीगण पुनः वादी से रूपये ऐठना चाहते है इसलिए अनावश्यक विवाद पैदा करके झूठे–झूठे मुकदमें लगाकर परेशान कर रहे है ताकि वादी से भरी भरकर रकम ऐठ सके।

यह कि वादी के कब्जे में खसरा संख्या 428/103 रकबा 0.3200 हे0 भूमि जो वादी की खातेदारी की है के अलावा भी खसरा संख्या 424/103 रकबा 0.49 हे0 306/52 रकबा 0.81 हे0, 52 मी0 रकबा 0.51 हे0 भूमि ग्राम गलियाबावडी की और है जो भी वादी की है जिस पर भी वादी का लम्बे समय से कब्जा चला आ रहा है नाजायज कब्जे के नोटिस भी वादी के कृषि साझीदारों के नाम से चल रहे है। इस भूमि पर वास्तविक कब्जा वादी का है, वादी लम्बे कब्जे के आधार पर इस भूमि का खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी हो चुका है । प्रतिवादीगण का उक्त भूमियों पर किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही है इसलिए वादी सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की राहत प्राप्त करने का कानूनी रूप से अधिकारी है क्योकि प्रतिवादीगण को वादी की भूमि पर दखल करने का उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। वादी के खातेदारी एवं कब्जे की भूमि को संरक्षण दिया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है।

वादकारण दिनांक 07.03.2016 को सभी प्रतिवादीगण ने हम सलाह होकर वादी की खातेदारी की आराजी संख्या 428/103 रकबा 0.3200 हे0 तथा आराजी संख्या 424/103, 316/52, 52 मी0 भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करना चाहने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

अतः वादी न्यायालय श्रीमान आप से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है कि: –

1. कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की आज्ञप्ति प्रदान कराई जावे की ग्राम गलियाबावडी पटवार हल्का रामपुरिया की आराजी संख्या 428/103. 316/52, व 52मी0 की भूमि जो वादी के पास लम्बे समय से कब्जे काश्त में है पर भी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा के आदेश द्वारा पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जे की भूमि पर किसी प्रकार का दखल न तो स्वयं करे, न ही किसी अन्य से करावे।
2. कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो धारा 209 आर.टी.एक्ट के तहत वादी को प्रदान किया जावे।
3. कि वाद व्यय, वकील मेहनतान, अन्य खर्चा भी वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें

वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 कि ओर से अधिकार पत्र अधिवक्ता श्री एम.डी. शर्मा द्वारा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर जवाबवाद प्रस्तुत किया गया जिसके सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वादी के खातेदारी की आराजियात का होना स्वीकार है किंतु उक्त आराजियात किन–किन पडोसियों के बीच स्थित है यह वादी स्वयं सिद्ध करें क्योकि जमीन के विक्रय से विवाद से एवं रकबा कम–ज्यादा होने से पडोस बदलते रहते है। प्रतिवादीगण वादी को कोई बाधा नहीं पहुँचा रहे है बल्कि वादी प्रतिवादीगण के कब्जेशुदा आराजीयात जो लम्बे समय से उनके कब्जे काश्त में है को छीनना चाहते है, इसी गरज से यह वाद प्रस्तुत किया हैं। वादी ने मिथ्या आरोप लगाया है और झूठी इतल्ला से पुलिस से सांठ गांठ कर गरीब व्यक्तियों की जमीन पर खरीदशुदा से अधिकार पर कब्जा करना चाहता है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। वादी को भी प्रतिवादीगण ने दर्ज कराई इतल्ला पर थाना बेगूँ द्वारा गिरफ्तार किया गया जिसका उसने तथ्य छुपाया है। वादी ने स्वच्छ हाथो से वाद प्रस्तुत नहीं किया है। वादी द्वारा वादवर्णित आराजीयात क्रय करना स्वीकार है किन्तु वादी को विक्रय हिस्से से अधिक जमीन पर काबिज होना चाहता है जिससे यह गलत वाद पेश किया है।

वादी को प्रतिवादीगण ने आराजी नम्बर 428/103 का विक्रय किया है शेष आराजी जिसमें 424/103 पर प्रतिवादीगण का वर्षो से कब्जा काश्त है तथा प्रतिवादी ने उक्त आराजीयात को काफी अंग मेहनत व पैसे लगाकर काश्त योग्य भूमि बनाया है और वर्षो से नाजायज कब्जे के नोटिस प्रतिवादीगण के नाम पर आ रहे है वादी गलत व झठे तथ्यो का सहारा ले रहा है। यदि वादी का नाजायज भूमि पर कब्जा है तो उसके नाम पर नोटिस क्यो नहीं आ रहे है एवं उक्त भूमि का उसने दावा पेश क्यो नहीं किया है झूठे कथनों के

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Scanned by CamScanner

सहारे कोई स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध पाने के वादी अधिकारी नहीं है। वादी का वादपत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत होने पर निम्न तनकी कायम की गई :–

1. आया कि मौजा ग्राम गलियाबावडी प0ह0 रामपुरिया की वाद पत्र की कलम संख्या 1 में अंकित आराजी संख्या 428/103 रकबा 0.3200 हैक्टर भूमि वादी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजी है जो कि तुलसीराम पिता भंवरलाल से दिनांक 11.08.2015 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया एवं प्रतिवादीगण द्वारा परेशान किये जाने पर दिनांक 30.08.2012 को तुलसीराम खटीक ने पेमानाथ को 70,000/– रूपये अलग से पत्थरकोट आदि हेतु देकर 100 रूपये स्टाम्प पर अनुबंधपत्र निष्पादित कराया है। अतः वादी अपनी खातेदारी व कब्जेकाश्त की उक्त आराजी में प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावंद किये जाने की आज्ञप्ति प्राप्त कर पाने का वादी अधिकारी है? साथ ही मौजा ग्राम गलियाबावडी की आराजी संख्या 424/103, 316/52 व 52मी. की भूमि जो वादी के पास लंबे समय से कब्जे काश्त में है एवं इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा वादी के साथ झगडा करते हुए आम शांति भंग किये जाने से प्रतिवादीगण को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बेगूँ द्वारा 06 माह के लिए 10,000/– 10,000/ के जमानत मुचलकों पर पावंद किया गया है। अतः इस आराजी पर भी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावंद किये जाने की आज्ञप्ति प्राप्त कर पाने के वादी अधिकारी है? ..... वादी
2. आया कि वादपत्र की कलम संख्या एक में वर्णित वादी के खातेदारी की आराजीयात किन किन पडोसियों के बीच स्थित है वह वादी स्वयं सिद्ध करें क्यो कि जमीन के विक्रय से विवाद से एवं रकबा कम ज्यादा होने से पडोस बदलते रहते है।
3. आया वादपत्र में वर्णित उक्त भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा वादी को कोई बाधा नहीं पहुँचायी जा रही है, वरन लंबे समय से प्रतिवादीगण के कब्जेशुदा आराजीयात को वादी छीन लेने की गरज से मिथ्या आरोप लगा रहा है एवं झूठी इत्तिला से पुलिस से सांठ गांठ कर गरीब व्यक्तियो की जमीन पर खरीदशुदा से अधिक पर कब्जा करना चाहता है जिसका उसे अधिकार नहीं है। वादी को भी प्रतिवादीगण द्वारा दर्ज पुलिस इत्तिला पर गिरफ्तार किया गया जो कि तथ्य वादी द्वारा छिपाया गया है, अतः स्वच्छ हाथों से वादपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से वादी का वादपत्र खारिज होने योग्य है?
4. आया कि वादपत्र की कलम संख्या तीन में आराजीयात क्रय करने के अतिरिक्त शेष कथन मनगढंत व मिथ्या है एवं अनुबंध पत्र जाली का कॅटरचित है। पेमानाथ अनपढ होकर अंगूठा लगाता है उसने कोई अनुबंध नही किया है ? .....प्रतिवादीगण
5. आया कि कलम संख्या चार में वादी द्वारा स्पष्ट नही किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा कौनसे झूठे मुकदमें लगाये गये है ,वादी विक्रय हिस्से से अधिक भूम पर काबिज होना चाहता है जिससे गलत वाद पेश किया है। वादी झूठे कथनों के सहारे कोई स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्राप्त करने का हकदार नही हैं ?..प्रतिवादीगण
6. दादरसी ?

पत्रावली में तनकी पत्र कायम किये जाने के बाद में साक्ष्यवादी हेतु शपथपत्र वादी रतनलाल एवं गवाह बालकिशन के प्रस्तुत किये गये वादी द्वारा मुख्य परीक्षण के दौरान के वादपत्र में प्रस्तुत दस्तावेज को पदर्श करते हुये अपने बयान कलमबद्ध कराये। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा वादी एवं वादी गवाह से जिरह कर बयान कलमबद्ध कराये गये। पत्रावली में वादी की साक्ष्य पुर्ण होने के उपरांत प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य शपथपत्र पेश नही किया जिससे प्रतिवादीगण की साक्ष्य बन्द की गयी।

पत्रावली में वादी की साक्ष्य पुर्ण होने पर बहस दावा पत्रावली में अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस को सुना गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा बहस में भाग नही लिया गया। वादी अंधिवक्ता द्वारा अपनी बहस वादपत्रानुसारं पुर्ण करते हुये प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावंद किये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली में वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। बाद अवलोकन दस्तावेज तनकी अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है :–

1. <u>तनकी नम्बर 1 का निर्णय :–</u>

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी का है जिन्होने पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमावंदी ग्राम गलियाबावडी प.ह. रामपुरिया संवत् 2070–73 जो कि प्रदर्श 1 हे का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। आराजी संख्या 428/103 रकबा 0.3200 हे0 भूमि से

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

तुलसीराम पिता भंवरलाल जाति खटीक के नाम खातेदारी हक से दर्ज है जमाबंदी में नोट अंकित किया हुबआ है कि नामान्तरण संख्या 623 दिनांक 05.11.2015 से बेचान द्वारा खाता श्री रतनलाल पिता छीतर रेगर साकिन रामपुरिया के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई । पत्रावली में प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी पदर्श 2 जिसमें उक्त आराजी पर तुलसी राम पिता भंवरलाल खटीक द्वारा मक्का की फसल बुवाई का अंकन है। वाद वर्णित आराजी वादी द्वारा कय की गई है वर्तमान में वर्णित आराजी का खातेदार वादी होकर अपनी आराजी को सुरक्षित रखने का अधिकार रखता है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकार भी रखता है कि वे ग्राम गलियाबावडी प0ह0 रामपुरिया की आराजी संख्या 428/103 रकबा 0.3200 हे0 भूमि जो वादी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है पर प्रतिवादीगण स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति, परिवार के सदस्य, नोकर आदि से वादी के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न न करे, न करावे। साथ ही वादी द्वारा ग्राम गलियाबावडी की आराजी संख्या 424/130, 316/52 व 52 मीन की भूमि पर वादी के कब्जे संबंधी कोई ठोस सबूत पत्रावली में प्रस्तुत नही किया है ना ही वादी के बयानो में उक्त आराजी पर कब्जा होने की पुष्ठी के संबंध में वक्त जिरह कोई कथन किया है आराजी संख्या 424/130, 316/52 व 52 मीन के संबंध में किसी प्रकार की दाद पाने का वादी अधिकार नही पाया जाता है। इस प्रकार वादी की तनकी नंबर 1 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार की जाती है।

<u>तनकी नम्बर 2 से लगायत 5 तक का निर्णय :–</u>

उक्त समस्त तनकियो को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था जिन्होने पत्रावली में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है न ही प्रतिवादीगण की साक्ष्य प्रस्तुत की है इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नही करने एवं साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब की पुष्टी नही होती है इस प्रकार तनकी नम्बर 2 से लगायत 5 प्रतिवादीगण के पक्ष में सिद्ध नही होने से खारिज की जाती है।

वादी अपने वादपत्र को सिद्ध करा पाने में समर्थ रहे है जिससे वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 188 92 आर0टी0 एक्ट का स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि मोजा ग्राम गलियाबावडी प0ह0 रामपुरिया की आराजी संख्या 428/103 रकबा 0.3200 हे0 भूमि जो वादी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है पर प्रतिवादीगण स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति, परिवार के सदस्य, नोकर आदि से वादी के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न न करे, न करावे।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

21/8/19

(रमेश चन्द्र पुनाड़िया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगू, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेष 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 57/2016

1. रतनलाल छीतरमल रेगर निवासी रामपुरिया तहसील बेगूँ

.....वादी

बनाम

1. पेमानाथ पिता देवानाथ जाति कालबेलिया निवासी गलियाबावडी
2. मांगीनाथ पिता पेमानाथ जाति कालबेलिया निवासी गलियाबावडी
3. चन्दानाथ पिता मोतीनाथ जाति कालबेलिया निवासी गलियाबावडी
4. सुन्दरीबाई पति पेमानथ जाति कालबेलिया निवासी गलियाबावडी
5. सुगनाबाई पति चन्दा ताथ जाति कालबेलिया निवासी गलियाबावडी
6. गीताबाई पति भागुनाथ जाति कालबेलिया निवासी गलियाबावडी
7. डालु नाथ पिता नाथुनाथ जाति कालबेलिया निवासी गलियाबावडी
8. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील कार्यालय बेगूँ
9. श्रीमान राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि जिला कलेक्टर महोदय जी चित्तौडगढ राज॰

.....प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री के.सी. धाकड़ की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 188,92 ए आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 21.08.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :–

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 188 92 आर0टी0 एक्ट का स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि मोजा ग्राम गलियाबावडी प0ह0 रामपुरिया की आराजी संख्या 428/103 रकबा 0.3200 हे0 भूमि जो वादी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है पर प्रतिवादीगण स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति, परिवार के सदस्य, नोकर आदि से वादी के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न न करे, न करावे।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 21.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मृद्रा से जारी की गई है।

21/8/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चितौडगढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूँ को पालनार्थ प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner